A

IN THE COURT OF SESSIONS JUDGE, KOTA	
Presiding Officer	: SATYANARAYAN VYAS
Date of the Judgement	: 18.03.2026
Cr.Appeal No.	: 657/2019
CNR No.	: RJKT010091812019
FIR No.-	: 87/2005 PS Vigyan Nagar Kota
Under Sections -	: 279, 304-A भारतीय दण्ड संहिता
Appellant	दिनेश पुत्र औंकारलाल, निवासी ग्राम गुरजनी थाना खानपुर जिला झालावाड़, हाल निवासी प्रेम नगर थाना उद्योग नगर कोटा
Represented by	श्री महेन्द्र कुमार भारद्वाज विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी
Rrespondent	स्टेट ऑफ राजस्थान
Represented by	श्री मनोज पुरी, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य

दाण्डिक अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.12.2019, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (उत्तर) कोटा, पीठासीन अधिकारी श्रीमती गरिमा बंसल, आर.जे.एस. फौजदारी प्रकरण संख्या-28/2006 सीआईएस नं.-16872/2014 शीर्षक राजस्थान राज्य बनाम दिनेश जिसके माध्यम से अपीलार्थी अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 279,304-ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित कर दण्डादिष्ट किया गया

B

Date of Offence	01.3.2005
Date of FIR	01.3.2005
Date of Charge sheet	15.4.2005
Date of Framing of Charges by trial court	08.3.2006
Date of commencement of evidence	06.11.2012
Date on which judgment is reserved	NIL

Authenticated Document

Date of the Judgment by trial court	11.12.2019
Date of the Sentencing Order, if any	11.12.2019
Argument on Appeal	07.3.2026
Judgement on Appeal	18.3.2026

PART-II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
P.W.1	सूरज सिंह	चक्षुदर्शी साक्षी
P.W.2	छगन सिंह	अनुसंधान अधिकारी
P.W.3	लटूरलाल	नक्शा मौका
P.W.4	शाहिद	फरियादी
P.W.5	डॉ.अरूण शर्मा	चिकित्सकीय साक्षी
P.W.6	डॉ.प्रमोद तिवारी	चिकित्सकीय साक्षी
P.W.7	रामसिंह	चक्षुदर्शी साक्षी
P.W.8	नन्नू खां	नक्शा मौका
P.W.9	अब्दुल सत्तार	पंचनामा मृतक अब्दुल हकीम
P.W.10	औंकारलाल	ट्रेक्टर मालिक
P.W.11	कमलेश कुमार	मैकेनिक मुआयना ट्रेक्टर
P.W.12	राजेन्द्र कुमार ओझा	चार्जशीट कता कर्ता

B. Defence Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
निल	निल	निल

C. Court Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
निल	निल	निल

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

S.No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी-1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी-2	चाक एफआईआर
3	प्रदर्श पी-3	फर्द पंचायतनामा लाश काईद बोहरा
4	प्रदर्श पी-4	फर्द सुपुर्दगी लाश काईद बोहर
5	प्रदर्श पी-5	नक्शा मौका
6	प्रदर्श पी-6	फर्द डेमेज मोटरसाइकिल नं.एमपी 14 बीसी 3119
7	प्रदर्श पी-7	फर्द बरामदगी ट्रेक्टर
8	प्रदर्श पी-7 पुनः	फर्द पंचातनामा लाश मृतक अब्दुल हकीम
9	प्रदर्श पी-8	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
10	प्रदर्श पी-9	पोस्टमार्टम रिपोर्ट काईद बोहरा
11	प्रदर्श पी-9 पुनः	पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब्दुल हकीम
12	प्रदर्श पी-10	फर्द सुपुर्दगी लाश अब्दुल हकीम
13	प्रदर्श पी-11	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट

B. Defence:

S.No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श डी-1	बयान धारा 161 दंप्रसं. गवाह सूरज सिंह
2	प्रदर्श डी-1 पुनः	बयान धारा 161 दंप्रसं. गवाह शाहिद
3	प्रदर्श डी-2	बयान धारा 161 दंप्रसं. गवाह रामसिंह

C. Court Exhibits:

S.No.	Exhibit Number	Description
निल	निल	निल

Authenticated Document

D. Material Objects:

S.No.	Exhibit Number	Description
निल	निल	निल

अपीलार्थी/अभियुक्त दिनेश की ओर से यह दाण्डिक अपील, विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (उत्तर) कोटा के निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 11.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलार्थी अभियुक्त दिनेश को धारा 279 व 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में 6(छः) माह का साधारण कारावास एवं 200/-(अक्षरे दो सौ रूपये) अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक दिवस का साधारण कारावास एवं धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत 2(दो) वर्ष के कारावास एवं 800/-रूपये (अक्षरे आठ सौ रूपये) अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड चार दिवस के साधारण कारावस से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.3.2005 को प्रार्थी शाहिद परवाज ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 इस आशय की प्रस्तुत की कि आज सुबह 10.00 बजे करीब उनके गांव मण्डाना से उसके पिता अब्दुल हकीम व काईद बोहरा की मोटरसाइकिल एम.पी.04 बीसी 3119 जिसको काईद चला रहा था, मण्डाना से कोटा जा रहे थे। ज्योंही दोनों जगपुरा के आगे रेतिया चौकी के पास पहुंचे कि कोटा की तरफ से एक ट्रेक्टर नं. आरजे 17 आर 3481 का चालक तेज गति व गफलत लापरवाही से चलाता हुआ आया व मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी जिससे उसके पिता के दाहिने हाथ की कलाई, कोहनी, सिर, दाहिने कान, बायें हाथ की कलाई व काईद के भी सिर में व अन्य जगह चोटें आई जिसकी मृत्यु मौके पर हो गई। एक्सीडेण्ट की सूचना मिलते ही वे घटनास्थल पर आये जहां से उसके पिता अब्दुल हकीम व काईद को अस्पताल लेकर आये जहां उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया व काईद को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यह घटना आने जाने वालों ने देखी है.....इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना विज्ञान नगर कोटा पर प्रकरण संख्या 87/2005 धारा 279,337 व 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने तफ्तीश पंचनामा मृतक कायद जोहर व अब्दुल हकीम बनाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई, लाश सुपुर्द की गई, गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये, नक्शा मौका बनाया गया, ट्रेक्टर को जप्त किया

गया, मोटरसाइकिल की फर्द डेमेज बनाई गई, ट्रेक्टर मालिक औंकारलाल को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त किया गया, ट्रेक्टर का मैकेनिकल मुआयना कराया गया। बाद अनुसंधान विचारण न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत प्रसज्ञांन लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया तथा धारा 279 व 304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप सारांश सुनाये गये। दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहान पी.डब्ल्यू.-1 लगायत पी.डब्ल्यू.-12 के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-11 प्रलेख प्रदर्शित कराये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि उसने कोई दुर्घटना कारित नहीं की। उसे इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी अभियुक्त एवं सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए दिनांक 11.12.2019 को अपीलार्थी अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्तानुसार निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय का उक्त दण्डादेश एवं पारित निर्णय दिनांक 11.12.2019 वस्तुस्थिति व कानून के सर्वथा विपरीत है। पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत यह निर्णय पारित किया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू.-1 सूरज सिंह ए.एस.आई. ने अपने बयानों में जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर के आगे पीछे क्या आ रहे थे, वह ट्रेक्टर से कितना दूर था, उसे ध्यान नहीं है। उसके साथ कान्स्टेबिल रामसिंह मोटरसाइकिल पर था। उसने यह भी कहा है कि मोटरसाइकिल के पीछे कौन आ रहा था, उसे पता नहीं है। रोजनामचा भी तलफ हो चुका था। यह गवाह मृतक की मोटरसाइकिल से आगे था। यह गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श डी-1 में कहीं नहीं लिखा है कि दुर्घटना कहां हुई। अतः यह गवाह किसी भी प्रकार से घटना की ताईद नहीं करता है। यदि यह गवाह घटनास्थल पर होता तो अनुसंधान अधिकारी इसकी रवानगी रपट चार्जशीट के साथ पेश करता। अतः इसको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं माना जा सकता। प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू.-2 छगन सिंह अनुसंधान अधिकारी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट एसएचओ विज्ञान नगर को नहीं दी गई बल्कि उसे हॉस्पीटल में फरियादी शाहिद ने दी थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया

Authenticated Document

है कि नक्शा मौका में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं रखे थे। रघुवीर सिंह ने पोस्टमार्टम कराया था व ट्रैक्टर के 2 मालिक में से एक को नोटिस देना कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू.-3 लटूरलाल नक्शा मौका का गवाह है जो शाहिद की निशांदेही से नक्शा मौका बनाना कहता है। यदि अनुसंधान अधिकारी द्वारा सही रूप से नक्शा मौका बनाया जाता तो सूरजसिंह व रामसिंह की निशांदेही से बनाया जाता। प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू.-4 शाहिद परिवादी परीक्षित हुआ है जो रिपोर्ट पुलिस वालों द्वारा लिखना कहता है, उसने तो केवल हस्ताक्षर किये थे। यह रिपोर्ट थाने पर लिखकर देना कहता है जबकि अनुसंधान अधिकारी रिपोर्ट हॉस्पीटल में देना कहता है एवं परिवादी रेत्या चौकी पर क्रेशर गिट्टी की तरफ ट्रैक्टर आना कहता है और अपने सामने दुर्घटना होना कहता है। यह गवाह प्रदर्श पी-6 व पी-7 पर हस्ताक्षर अस्पताल में करने का कथन कहता है। गवाह पी.डब्ल्यू.-6 डॉ.प्रमोद तिवारी मृतक की मृत्यु का कारण शॉक से होना कहता है। गवाह पी.डब्ल्यू.-7 रामसिंह ने अपने बयानों में कहीं भी नहीं कहा है कि उसने चालक को रोका हो और उसने अपना नाम दिनेश बताया हो और उसके सामने घटना हुई हो और न ही तेज गति व लापरवाही से ट्रेक्टर का आना लिखाता है।गवाह पी.डब्ल्यू.-12 राजेन्द्र कुमार ओझा पेश हुआ है जिसने कथन किया है कि सूरजसिंह व रामसिंह जगपुरा चौकी पर कार्यरत थे। वहां रोजनामचा नहीं चलता है। सूरजसिंह व रामसिंह ने न्यायालय में जो साक्ष्य दी है वह झूंठी है। उनके द्वारा कोई दुर्घटना नहीं देखी गई क्योंकि वे गश्त पर ही नहीं थे। उन्होंने कोई रोजनामचा रिपोर्ट पेश नहीं की है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी काफी समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है एवं आदतन अपराधी नहीं है। अन्त में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 11.12.2019 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक की ओर से दौराने बहस तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है उसमें पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन करते हुये पारित किया गया है। गवाहान पी.डब्ल्यू.-1 सूरज सिंह व पी.डब्ल्यू.-7 रामसिंह द्वारा अभियुक्त ने अपना नाम दिनेश धाकड़ मौके पर बताने का कथन किया है तथा ट्रेक्टर मय ट्रोली जरिये प्रदर्श पी-7 जप्त किया गया है जिसकी ताईद गवाह पी.डब्ल्यू.-3 लटूरलाल ने की है तथा धारा 133 एमवी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी-8 ट्रेक्टर मालिक औंकारलाल को दिया गया है जिसके जवाब में उसने वक्त दुर्घटना अभियुक्त दिनेश कुमार को उक्त ट्रेक्टर का चालक होना बताया है तथा ट्रेक्टर का चालक दिनेश कुमार होना साबित है। पत्रावली पर चश्मदीद साक्षीगण

ने स्पष्ट रूप से घटना की ताईद की है। पत्रावली पर गवाहान पी.डब्ल्यू.-1 सूरज सिंह व पी.डब्ल्यू.-7 रामसिंह ने अभियुक्त द्वारा तेज गति व लापरवाही व उतावलेपन से ट्रेक्टर चलाकर दुर्घटना कारित करना स्पष्ट रूप से कथन किया है। ये दोनों गवाह पुलिसकर्मी हैं, ये जानबूझकर झूंठे बयान क्यों देगें, इसका कोई कारण भी नहीं है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय व दण्डादेश को पुष्ट करते हुये अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

5. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता हैः-

> क्या वाहन ट्रेक्टर सं. आरजे17 आर 3481 को अभियुक्त दिनेश ने उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल के दुर्घटना कारित की, जिसमें अब्दुल हकीम व काईद बोहरा की मृत्यु कारित हुई?

6. इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य को देखा जाए तो गवाह पी.डब्ल्यू.-4 शाहिद मृतक अब्दुल हकीम का लड़का है। इसने भी कहा है कि जब उसके पिता व दोस्त का एक्सीडेन्ट हुआ था तब उसके पिता मोटरसाइकिल से मण्डाना की तरफ से आ रहे थे। ट्रेक्टर चालक की लापरवाही से एक्सीडेन्ट हुआ था। जिससे मौके पर कायद की मृत्यु हो गई थी तथा उसके पिता की मृत्यु दो दिन बाद हॉस्पिटल में हो गई थी। पुलिस की गाड़ी उनको हॉस्पिटल लेकर गई थी। हालांकि यह गवाह दुर्घटना नहीं देखना कहता है लेकिन अपने पिता की दुर्घटना होना स्पष्ट रूप से अपने बयानों में कथन किया है। इस संबंध में चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू.-5 डॉ. अरूण शर्मा द्वारा अब्दुल हकीम का दिनांक 03.3.2005 को पोस्टमार्टम करना और उसकी मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोटें पाये जाने का कथन करता हैः-

1. कुचला हुआ घाव 1.5 गुणा 4 सेमी. चमड़ी की गहराई तक बायीं आंख के भौंह पर
2. फैली हुई सूजन दायें टेम्पोरल एवं फ्रन्टल क्षैत्र में सिर में
3. खरोंच 3 गुणा 1 सेमी बायें टांग के उपर भाग में आगे की ओर
4. खरोंच 4 गुणा 3 सेमी दायें हाथ के पृष्ठ भाग पर
5. कुचला हुआ घाव 1 गुणा 4 गुणा 1 सेमी दायीं कलाई पर व दायीं कलाई की हड्डियां टूटी हुई थीं।
6. गले में ट्रेकियास्टोमी का घाव था जो सर्जरी द्वारा किया गया था।

Authenticated Document

7. कुचला हुआ घाव 1.5 गुणा 0.50 सेमी चमड़ी की गहराई तक बायें कान पर शरीर का आन्तरिक विच्छेदन करने पर सिर की चमड़ी के नीचे दोनों ओर टेम्पोरल क्षेत्र में खून जमा हुआ था। सिर का और विच्छेदन करने पर मस्तिष्क सूजा हुआ था। दोनों सेरिब्रम के बीच में खून भरा हुआ था। वेन्ट्रीकल के अंदर भी खून भरा हुआ था। शरीर के अन्य आन्तरिक अंग संकीर्ण थे। चिकित्सक ने मृत्यु का कारण हेड इंजरी के कारण मृत्यु होना कथन किया है जो कि सिर में आयी हुई चोटों के कारण कारित हुआ था। चिकित्सक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 को साबित कराया है।

7. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.-10 डॉ.प्रमोद तिवारी ने अपने बयानों में कायद जौहर का पोस्टमार्टम दिनांक 01.3.2005 करना और उसकी मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोटें पाये जाने का कथन करता है:-

1. बायीं टांग पर बीच वाले भाग में 4 गुणा 1 सेमी. का कुचला हुआ घाव
2. दाहिनी जांघ पर खरोंच के साथ सूजन आई हुई व दाहिनी जांघ में हड्डी टूटी हुई
3. दाहिने कंधे पर खरोंचों के साथ सूजन आई हुई
4. चेहरे के उपर सूजन आई हुई व व जबड़े की हड्डी टूटी हुई
5. सीने के उपर दाहिनी तरफ 6 गुणा 2 सेमी का खरोंच आया हुआ
6. सीने के बायीं ओर 4 गुणा 2 सेमी. खरोंच

आन्तरिक चोटों में पेट के अन्दर एक लीटर खून व खून के थक्के जमे हुये थे। इसका लीवर 6 गुणा 3 गुणा 2 में टूटा हुआ था। चिकित्सक ने मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आई हुई चोटों के कारण अधिक खून बह जाने से मृतक का शॉक में चले जाने से उसकी मृत्यु होना बताया है। चिकित्सक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 को साबित कराया है।

8. पत्रावली पर अन्य गवाहों में गवाह पी.डब्ल्यू.-9 अब्दुल सत्तार पंचायतनामा प्रदर्श पी-7 का गवाह है। पत्रावली पर कायद जौहर का मौके पर मृत्यु होना आया है जो पंचायतनामा प्रदर्श पी-3, फर्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी-4 व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 साबित है जिनसे स्पष्ट है कि कायद जौहर की मौके पर मृत्यु हो गई थी जिसे चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू.-6 डॉ.प्रमोद तिवारी ने अपने बयानों से भी साबित किया है। चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू.-5 डॉ.अरूण शर्मा ने अब्दुल हकीम की मृत्यु का कारण उसके मृत्यु पूर्व की चोटें बताई हैं। अब्दुल हकीम की मृत्यु दिनांक 03.3.2005 को हुई हैं जिसका पंचायतनामा प्रदर्श पी-7, फर्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी-10 व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 से उसकी मृत्यु होना

Authenticated Document

साबित है। अतः पत्रावली पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा व फर्द सुपुर्दगी लाश से काईद बोहरा व अब्दुल हकीम की मृत्यु होना साबित है।

9. गवाह पी.डब्ल्यू. 1 सूरज सिंह ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 01.03.2005 को वह जगपुरा चौकी पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन कानि. रामसिंह व वह स्वयं मोटरसाइकिल से रेत्या चोकी की तरफ गश्त कर रहे थे। सुबह 10.00 बजे करीब कोटा की तरफ से एक ट्रेक्टर ट्रोली नम्बर आरजे 17 आर 3481 का चालक उसको तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और एक मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी जो मण्डाना की तरफ से आ रही थी। ट्रेक्टर को रोका उसके चालक को नीचे उतारकर नाम पता पूछा तो दिनेश धाकड बताया। चोटिल ने अपना नाम अब्दुल हकीम बताया, दूसरा बेहोश था। जिन्हें हॉस्पीटल भिजवाया। मोटरसाइकिल व ट्रेक्टर को चौकी पर ले आये। घायलों को हॉस्पीटल पहुंचाया जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम काईद बताया था, दुर्घटना की चोटों से अस्पताल पहुंचने से मृत्यु हो गई थी। लाश को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया।

10. यह गवाह जिरह में कहीं पर भी विचलित नहीं हुआ है और इसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे रेतिया चौकी से जगपुरा की ओर आ रहे थे और ट्रेक्टर कोटा की तरफ से आ रहा था। यह गवाह यह भी कहता है कि ट्रैक्टर रोड के बीच आ रहा था। यह गवाह स्वयं द्वारा दुर्घटना देखने का कथन करता है। यह गवाह यह भी स्पष्ट रूप से कथन करता है कि उसने 30-40 फुट दूर से मोटरसाइकिल को देख लिया था। वह मृतक की मोटरसाइकिल से आगे था एवं थाने पर सूचना देना भी कहता है।

11. गवाह पी.डब्ल्यू.-7 रामसिंह ने भी अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह और सूरज सिंह ए.एस.आई. रेतिया चौकी से जगपुरा की ओर आ रहे थे। मोटरसाइकिल नम्बर एमपी 14 बीसी 3119 से दो व्यक्ति मण्डाना से कोटा जा रहे थे तथा कोटा से एक ट्रेक्टर ट्रोली नम्बर आरजे 17 3481 जगपुरा जा रहा था। उसके चालक ने गफलत व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पर बैठे हुये व्यक्ति मौके पर ही गिर गये। दोनों के काफी चोटें आई थीं। एक्सीडेन्ट करने वालों को मौके पर रोका तो चालक ने अपना नाम दिनेश धाकड़ बताया था। घायलों को साधन से एमबीएस अस्पताल पहुंचाया। एक की मृत्यु हो गई थी और एक को भर्ती कराया था। जिरह में भी यह गवाह अपने मुख्य परीक्षण से कहीं पर भी विचलित नहीं हुआ है और घायलों को दुर्घटना के बाद अस्पताल ले जाना स्पष्ट रूप से कथन किये हैं। यह गवाह स्पष्ट रूप से

Authenticated Document

कहता है कि रेतिया चौकी की तरफ से ट्रेक्टर आ रहा था जो उसके आगे था जो मेन रोड झालावाड़ रोड पर था। वे ट्रेक्टर के पीछे चल रहे थे।

12. अतः पत्रावली पर स्पष्ट रूप से दोनों गवाहों ने रेतिया चौकी की ओर से उसी साईड से ट्रेक्टर का जाना और सामने से मोटरसाइकिल आने का कथन किया है तथा इसी ट्रेक्टर नम्बर आरजे 17 3481 द्वारा दुर्घटना होना स्पष्ट रूप से कथन किया है और पत्रावली पर इन दोनों गवाहों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि ट्रेक्टर चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश धाकड़ बताया था। अतः इन्होंने स्पष्ट रूप से दुर्घटना अपनी आंखों से देखना कथन किया है।

13. पत्रावली पर इस संबंध में दोनों गवाहों ने यह भी कहा है कि ट्रेक्टर उसी समय जप्त कर चौकी पर लेकर आये थे। इस संबंध में फर्द जप्ती ट्रेक्टर प्रदर्श पी-7 से भी स्पष्ट है कि यह ट्रेक्टर ट्रोली जप्त थे और उसको दिनांक 03.3.2005 को जप्त किया गया है।

14. गवाह पी.डब्ल्यू.-10 औंकारलाल ट्रेक्टर आरजे 17 आर 3481 का मालिक है जो ट्रेक्टर से दुर्घटना होने का कथन किया है। हालांकि यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है। फिर भी यह गवाह नोटिस प्रदर्श पी-8 व जवाब पुलिस के कहने के आधार पर देना व ई से एफ उसने हस्ताक्षर होना कथन किया है और स्वीकार किया है कि दिनेश उसका लड़का है। ट्रेक्टर घर से तो दिनेश चलाकर ले गया था। अतः यह गवाह भी दिनेश द्वारा ट्रेक्टर को घर से चलाकर ले जाने का कथन करता है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू.-11 कमलेश कुमार मैकेनिकल मुआयना का गवाह है जिसने ट्रेक्टर स्वराज 733 नम्बर आरजे 17 आर 3481 का मुआयना करने पर ट्रेक्टर के बायीं तरफ पिछले पहिये के मडगार्ड के आगे की तरफ व पायदान पर डेमेज व रगड़ के ताजा निशान होने का कथन किया है। गवाह ने ट्रेक्टर को स्टार्ट कर चलाकर चेक किया तो ट्रेक्टर ट्रोली के सभी सिस्टम ठीक होना भी कहा है।

16. इस सम्बन्ध में गवाह पी.डब्ल्यू. 10 ओंकारलाल वाहन ट्रैक्टर का मालिक है जिसने अपने बयानों में यह कथन किया है कि वह ट्रैक्टर नम्बिर आर.जे. 17 आर 3481 का मालिक था जिससे 12-13 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट हो गया था और पुलिस ने उसे नोटिस दिया था। इस गवाह के बयानों से स्पष्ट है कि ट्रैक्टनर दिनेश या गिर्राज को देने का कथन करने पर इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है लेकिन यह गवाह जिरह में कहता है कि नोटिस प्रदर्श पी.8 पर सी से डी जवाब

Authenticated Document

उसने पुलिस के कहने पर लिखा था जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। दिनेश उसका लड़का है। ट्रैक्टर घर से तो दिनेश चलाकर ले गया था। अतः इस गवाह के बयानों से ट्रैक्टर मालिक पी.डब्ल्यू. 10 ओंकारलाल होना, ट्रैक्टर संख्या आरजे17 आर 3481 का एक्सीडेंट होना और ट्रैक्टर का चालक दिनेश होना कथन किया है। पत्रावली पर अन्य साक्ष्य में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 2 छगन सिंह ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा है कि फर्द डेमेज मोटरसाईकिल प्रदर्श पी. 6 और फर्द जब्ती ट्रैक्टर आरजे17 आर 3481 प्रदर्श पी. 7 पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसने वाहन संख्या आरजे17 आर 3481 का मैकेनिकल मुआयना कराया। इस सम्बन्ध में ट्रैक्टर के मैकेनिकल मुआयना के गवाह पी.डब्ल्यू. 11 कमलेश कुमार ने उक्त ट्रैक्टर आरजे17 आर 3481 का मैकेनिकल मुआयना करना और ट्रैक्टर के बाईं तरफ पिछले पहिए के मडगार्ड के आगे की तरफ व पायदान पर डेमेज होना और रगड़ के ताजा निशान होना पाना कथन किया है।

17. इस सम्बन्ध में चश्मदीद साक्षी पी.डब्ल्यू. 1 सूरज सिंह और पी.डब्ल्यू. 7 रामसिंह जो कि घटना के चश्मदीद साक्षी हैं और पुलिसकर्मी हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी आंखों के सामने मोटरसाईकिल और ट्रैक्टर के बीच दुर्घटना होना स्पष्ट रूप से कहा है। पी.डब्ल्यू. 7 रामसिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक्सीडेंट करने वाले को मौके पर रोका और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दिनेश धाकड़ बताया और पी.डब्लयू. 1 सूरज सिंह ने कहा है कि उसने घायलों को अस्पताल भिजवाया था और यह क्षतिग्रस्त वाहनों को चौकी पर ले जाने का कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 7 रामसिंह ने भी उक्त मोटरसाईकिल संख्या एमपी14 बीसी 3119 और ट्रैक्टर संख्या आरजे17 आर 3481 के बीच दुर्घटना होने का कथन किया है और यह कहा है कि ट्रैक्टर चालक का मौके पर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दिनेश धाकड़ बताया था और घायलों को अस्पताल ले जाने का भी इसने कथन किया हैं हालांकि फर्द डेमेज मोटरसाईकिल का गवाह पी.डब्ल्यू. 8 नन्नू खां पक्षद्रोही घोषित हुआ है लेकिन पत्रावली पर चश्मदीद साक्षी पी.डब्ल्यू. 1 सूरज सिंह और पी.डब्ल्यू. 7 रामसिंह के बयानों से अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 2 छगन सिंह के बयानों से तथा ट्रैक्टर के मालिक पी.डब्ल्यू. 10 ओंकारलाल के बयानों से इस बात की ताईद होती है कि ट्रैक्टर नम्बर आरजे17 आर 3481 को अभियुक्त दिनेश ही चला रहा था और मोटरसाईकिल एमपी14 बीसी 3119 और ट्रैक्टर संख्या आरजे17 आर 3481 के बीच दुर्घटना घटित हुई जो फर्द जब्ती ट्रैक्टर प्रदर्श पी.7, नोटिस अन्तर्गत धारा 133 एम.वी. एक्ट प्रदर्श पी.8 तथा मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट

Authenticated Document

प्रदर्श पी.11 से भी होती है कि उक्त मोटरसाईकिल व ट्रैक्टर के बीच दुर्घटना हुई और उसका चालक दिनेश था।

18. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी अभियुक्त का यह तर्क कि अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में रोजनामचा पेश नहीं किया गया है, मेरे विनम्र मत में प्रथम तो गवाह पी.डब्ल्यू.-12 राजेन्द्र कुमार ओझा जो थानाधिकारी विज्ञान नगर था, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जगपुरा चौकी पर रोजनामचा नहीं चलता था। गवाह पी.डब्ल्यू.-1 सूरज सिंह व पी.डब्ल्यू.-7 रामसिंह के बयानों से बयानों से स्पष्ट है कि गवाह पी.डब्ल्यू.-1 सूरज सिंह ने चौकी पर आग लगने का भी कथन किया है। अतः रोजनामचा रपट पेश नहीं होने से दुर्घटना नहीं हुई हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि दोनों गवाहान पुलिसकर्मी हैं और ये गश्त करने के लिए जा रहे थे। इन पुलिसकर्मियों की गवाही के अलावा दोनों वाहनों में जो डेमेज हुआ है, उससे भी दुर्घटना होना साबित है और ट्रेक्टर चालक को उसी समय देखा है और ट्रेक्टर को उसी समय जब्त किया है और चौकी पर लेकर आये हैं। चालक ने अपना नाम दिनेश बताया है। अतः पत्रावली पर साबित है कि अभियुक्त दिनांक 01.03.2005 को समय 10.00 बजे के लगभग कोटा मण्डाना रोड पर वाहन ट्रेक्टर नम्बर आरजे17 आर 3481 का चालक था और उसने उक्त ट्रेक्टर से मोटरसाइकिल नम्बर एमपी04 बीसी 3119 के सामने से टक्कर मारी थी।

19. पत्रावली पर गवाह पी.डब्ल्यू.-1 सूरज सिंह ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 01.3.2005 को वह जब रेतिया चौकी तरफ गश्त पर जा रहा था तो कोटा की तरफ से एक ट्रेक्टर ट्रोली नम्बर आरजे17 आर 3481 का चालक उसको तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जो मण्डाना की तरफ से आ रही थी। जिस पर दो आदमी थे। दोनों के सिर में चोट आई थी। जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम काईद था उसकी उक्त चोटों से अस्पताल पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। यह गवाह जिरह में कहीं पर भी विचलित नहीं हुआ है कि उसने दुर्घटना नहीं देखी हो और स्पष्ट रूप से कहता है कि कन्ट्रोल रूम व थाने पर सूचना की थी। इन घायलों को कानिस्टेबिल रामसिंह द्वारा भिजवाने का कथन किया है। इसकी ताईद गवाह पी.डब्ल्यू.-7 रामसिंह ने अपने बयानों में की है। यह गवाह भी स्पष्ट रूप से कहता है कि जब वह रेतिया चौकी से जगपुरा की तरफ आ रहा था तो मोटरसाइकिल एमपी14 बीसी 3119 से दो व्यक्ति मण्डाना से कोटा जा रहे थे और कोटा की तरफ से एक ट्रेक्टर ट्रोली नम्बर आरजे17 3481 जगपुरा जा रही थी।

Authenticated Document

जिसने मोटरसाइकिल के सामने से टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पर बैठे हुये व्यक्ति मौके पर ही गिर गये। दोनों के काफी चोटें आई थीं। घायलों को साधन से एमबीएस अस्पताल पहुंचाया था। एक की मृत्यु हो गई थी और एक को अस्पताल में भर्ती कराया था। घायल व्यक्ति हकीम था और मृतक कायद था। यह गवाह भी जिरह में कहीं पर भी विचलित नहीं हुआ है और स्पष्ट रूप से इस बात को गलत बताता है कि वह घायल को अस्पताल लेकर नहीं गया हो, ये दोनों गवाह पुलिसकर्मी हैं। इससे स्पष्ट है कि आमने सामने की टक्कर में मोटरसाइकिल और ट्रेक्टर में दुर्घटना होना कहा है तथा मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों मे से एक व्यक्ति कायद की मौके पर मृत्यु होना और हकीम को अस्पताल पहुंचाने का कथन किया है।

20. घटना के चश्मदीद साक्षी पी.डब्ल्यू.1 सूरज सिंह तथा पी.डब्ल्यू.7 रामसिंह दोनों पुलिसकर्मी हैं, ये गवाह अकारण झूठे बयान क्यों देंगे। ये दोनों गवाह गश्त पर जाना कहते हैं और आंखों से दुर्घटना देखना कहते हैं। गवाह पी.डब्ल्यू.1 सूरज सिंह क्षतिग्रस्त वाहनों को चौकी पर ले जाना और उन्हें जब्त करना कहता है। ट्रैक्टर पर रगड़ के निशान आदि पाए गए हैं। मौके पर ही दो लोगों की मृत्यु हुई है। इन गवाहान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक घायल को पी.डब्ल्यू. 7 रामसिंह ने अस्पताल में भर्ती कराया था। गवाह पी.डब्ल्यू.1 सूरज सिंह ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को चौकी पर ले जाने का कथन किया है। इसकी ताईद पी.डब्ल्यू. 4 शाहिद ने अपने बयानों में की है। पी.डब्ल्यू. 4 शाहिद ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि उसके पिता मण्डाना की तरफ से आ रहे थे, ट्रैक्टर चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था जिससे एक्सीडेंट हुआ जिससे मौके पर काईद की मृत्यु हो गई, उसके पिता की मृत्यु 2 दिन बाद हॉस्पीटल में हो गई। पुलिस की गाड़ी उनको हॉस्पीटल ले गई थी। गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रैक्टर व मोटरसाईकिल में एक्सीडेंट हुआ था। पी.डब्ल्यू.1 सूरज सिंह स्पष्ट रूप से कहता है कि कोटा की तरफ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक उसको तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आ रहा था। मोटरसाईकिल मण्डाना की तरफ से आ रही थी। इस गवाह ने जिरह में भी कहा है कि ट्रैक्टर रोड के बीच में आ रहा था, साईड में नहीं था। गवाह पी.डब्ल्यू. 7 रामसिंह कह रहा है कि प्रदर्श पी. 5 नक्शा मौका में यह दर्शित है कि मोटरसाईकिल और ट्रैक्टर की आमने-सामने टक्कर हुई है। पी.डब्ल्यू. 1 सूरज सिंह व पी.डब्ल्यू.7 रामसिंह दोनों गवाह चश्मदीद गवाह हैं।

21. घटना के दोनों चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू. 1 सूरज सिंह व पी.डब्ल्यू. 7 रामसिंह पुलिसकर्मी हैं किन्तु वे स्वतंत्र गवाह के रूप में भी बयान दे सकते हैं। इन

गवाहान ने मौके पर घटना देखना कथन किया है। उक्त दोनों गवाहान मृतकगण से हितबद्ध हों या अपीलार्थी अभियुक्त से उनकी कोई रंजिश या दुश्मनी हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं आया है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों गवाहान के पुलिसकर्मी होने के आधार पर उनके बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

22. दुर्घटना के मामलों में नक्शा मौका महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सही है कि नक्शा मौका चश्मदीद साक्षी पी.डब्ल्यू.-1 सूरज सिंह व पी.डब्ल्यू.-7 रामसिंह की निशांदेही से नहीं बनाकर फरियादी की निशांदेही से बनाया गया है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 से स्पष्ट है कि मृतक मण्डाना से कोटा की ओर जा रहे थे और ट्रेक्टर कोटा से मण्डाना की तरफ जा रहा था तब आमने सामने से दुर्घटना हुई है लेकिन पत्रावली पर स्पष्ट है कि सड़क के ज्यादा बायीं तरफ दुर्घटना हुई है इससे स्पष्ट है कि ट्रेक्टर अपनी सही दिशा में नहीं था और सही दिशा में जाती हुई मोटरसाइकिल के सामने आकर टक्कर मारी है। ट्रेक्टर चालक का कर्तव्य था कि वह सही दिशा में चलाता लेकिन नक्शा मौका से भी यह साबित है कि उसके द्वारा अपनी साईड से हटकर गलत दिशा में आकर मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मारी है। ट्रेक्टर के बायीं साईड के मडगार्ड के आगे की तरफ व क्लच पायदान पर रगड़ के निशान पाये गये हैं। इससे भी स्पष्ट है कि ट्रेक्टर काफी गलत दिशा में आ रहा था और इससे भी ट्रेक्टर चालक की लापरवाही साबित है।

23. पत्रावली पर अन्य गवाहों में गवाह पी.डब्ल्यू.-3 लटूरलाल ने भी नक्शा मौका की ताईद की है और नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू.-4 शाहिद ने भी नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। हालांकि गवाह पी.डब्ल्यू.-8 नन्नू खां पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

24. गवाह पी.डब्ल्यू.-11 कमलेश कुमार ने मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 को साबित कराया है। गवाह पी.डब्ल्यू.-12 राजेन्द्र कुमार ओझा ने चालान पेश करने का कथन किया है।

25. मेरे विनम्र मत में पत्रावली पर चश्मदीद साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रेक्टर चालक की लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई है। दुर्घटना आमने-सामने से हुई है इससे यह कयास नहीं लगाया जा सकता कि मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही है क्योंकि ट्रैक्टर अपनी साइड को छोड़कर गलत दिशा में आया है और मोटरसाईकिल के टक्कर मारी है, इससे ट्रैक्टर चालक की लापरवाही होना सबित है।

Authenticated Document

नक्शा मौका से दुर्घटना की ताईद होती है क्योंकि घटनास्थल पर खून और कांच पड़े हुए थे। ट्रैक्टर चालक का कर्तव्य था कि वह अपने वाहन को सावधानी से चलाता लेकिन ट्रैक्टर चालक ने उचित सावधानी नहीं बरती इसिलए दुर्घटना हुई है। दोनों चश्मदीद साक्षी पी.डब्ल्यू. 1 सूरज सिंह और पी.डब्ल्यू. 7 रामसिंह ने स्पष्ट रूप से ट्रैक्टर चालक की लापरवाही बताई है। परिस्थितियों से भी हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई है। इस सम्बन्ध में नक्शा मौका प्रदर्श पी.5 से स्पष्ट हे कि नक्शा मौका में वर्णित "ए" स्थन पर दुर्घटना होने का कथन किया गया है और मौके पर खून और कांच पड़े होना भी नक्शा मौका में आया है। अन्य गवाहों में पी.डब्ल्यू.3 लटूरलाल नक्शे मौके का गवाह है, जिसने नक्शे मौके की ताइद की है तथा पी.डब्ल्यू. 12 राजेन्द्र कुमार ओझा चार्जशीट पेश करने का गवाह है।

26. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी अभियुक्त का जहां तक यह तर्क रहा है कि नक्शा मौका चश्मदीद साक्षीगण की निशांदेही से नहीं बनाया गया है, मेरे विनम्र मत में चश्मदीद साक्षीगण की निशांदेही से नहीं बनाकर फरियादी की निशांदेही से बनाया गया है लेकिन चश्मदीद साक्षी ने घटना की पूर्णरूपेण ताईद की है तथा मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 के अनुसार जो नुकसान हुआ है, उससे भी ट्रेक्टर चालक की लापरवाही साबित होती है।

27. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी अभियुक्त का यह तर्क कि पुलिसकर्मी जो चश्मदीद गवाह थे, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, मेरे विनम्र मत में गवाह पी.डब्ल्यू.-1 सूरज सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मजरूबान को रामसिंह हॉस्पिटल ले गया था और वह वाहनों को चौकी पर लेकर गया था इसमें समय लग गया। वह रिपोर्ट दर्ज कराता उससे पहले घायलों के रिश्तेदारों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। मेरे विनम्र मत में एफआईआर किसके द्वारा दर्ज कराई गई, वह मात्र सूचना देना है, उससे प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त दिनेश ने ट्रेक्टर नम्बर आरजे 17 आर 3481 को उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल नम्बर एमपी 04 बीसी 3119 को सामने से टक्कर मारी जिसके कायद बोहरा व अब्दुल हकीम की मृत्यु कारित हुई।

28. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो गवाहान की साक्ष्य का विवेचन कर अपीलार्थी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाए जाने का जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह निर्णय साक्ष्य एवं विधि पर आधारित होने से पुष्टि किए जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त को धारा 279 व

304 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्धि का जो निर्णय पारित किया गया है उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त दोषसिद्धि का आदेश पुष्टि किए जाने योग्य है।

29. जहां तक दण्डादेश की मात्रा का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी अभियुक्त का तर्क है कि उसका यह प्रथम अपराध है। उसके पिता की हालत खराब है, उनको पैरालिसिस हुआ है, वह घर में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। अतः अपीलार्थी अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया तथा विकल्प में जुर्माने से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि इस प्रकरण में अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित की गई है, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त को समुचित दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

30. सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप साबित है। कोटा शहर में सड़क दुर्घटनाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं और इस प्रकरण में हुई सड़क दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु कारित हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर 1979 Supreme(SC) 414 Rattan Singh Vs. State of Punjab तथा Dalbir Singh vs State Of Haryana, Appeal (crl.) 426 of 2000, Decided on 04.05.2000 में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में यह मार्गदर्शन मिलता है कि ऐसे मामलों में लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले अभियुक्त के प्रति नरम रुख नहीं रखा जाना चाहिए। अतः इस प्रकरण में अपीलार्थी अभियुक्त के प्रति नरम रुख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विनम्र मत में अपीलार्थी अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा जो दण्डादेश दिया गया है, वह समुचित प्रतीत होता है, जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 11.12.2019 पुष्टि किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

31. अपीलार्थी अभियुक्त दिनेश पुत्र औंकारलाल, निवासी ग्राम गुरजनी थाना खानपुर जिला झालावाड़ निवासी प्रेम नगर थाना उद्योग नगर कोटा की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (उत्तर) कोटा द्वारा दांडिक नियमित प्रकरण

Authenticated Document

संख्या-28/2006 सीआईएस नं.-16872/2014 शीर्षक राजस्थान राज्य बनाम दिनेश में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.12.2019 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी अभियुक्त का कन्फर्मेशन सजा वारण्ट बनाया जावे।

32. अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

33. अपीलार्थी अभियुक्त धारा 481(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय में दो हजार रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका भी पेश कर तस्दीक करावे।

34. इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

(सत्यनारायण व्यास)

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

ASHISH JANGID
Digitally signed by ASHISH JANGID
Date: 2026.03.18 17:21:11 +0530

Authenticated Document